Rashtriya Sahara, Delhi
Friday, 5th October 2018; Page: 7
Width: 17.14 cms; Height: 12.63 cms; a4; ID: 36.2018-10-05.53

मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर तीन साल बाद दर्ज हुआ अपहरण का केस

पूर्वी दिल्ली (एसएनबी)। शाहदरा रेलवे स्टेशन से तीन वर्ष पूर्व अगवा मानसिक रूप से बीमार दस वर्षीया बच्ची के अपहरण का मामला रेलवे पुलिस ने मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के बाद दर्ज किया है। परिजनों का कहना है कि रेलवे पुलिस ने मामला इसलिए दर्ज नहीं किया था, क्योंकि बच्ची का रेल टिकट नहीं था। बच्ची के गुम हो जाने की शिकायत लेकर जब परिजन शाहदरा रेलवे चौकी पहुंचे तो पुलिस ने बच्ची के पिता से बच्ची का टिकट मांगा। टिकट न होने की वजह से पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। बच्ची के पिता विजयपाल (51) चार बेटों व एक बेटी के साथ गांव वजीरपुर, सहारनपुर में रहते हैं। इनमें बेटी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसका शाहदरा स्थित इहबास अस्पताल में उपचार चल रहा था जिसे 28 जून, 2015 को डॉक्टरों को दिखाने आए थे। देर रात 12 बजे के करीब वह शाहदरा रेलवे स्टेशन पर उतर गए, जहां बेटी को सुला दिया। जब उनकी आंख खुली तो बच्ची गायब थी।